

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर कपासन

मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाकियाकला

गणेशपुरी

बनाम

देवीलाल

किस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

नं० 26

सन् 2023

धारा 128 एल0आर0एक्ट0

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

13.06.2023

वकील प्रार्थीगण ने आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाकिया कला में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रस्तुत कर वहस एक तरफा बावत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर वहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है, प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा दामाखेडा पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 135 के हाल आराजी संख्या 267 रकबा 0.22 हैक्ट0, खाता संख्या 162 आराजी संख्या 784 रकबा 0.28 हैक्ट0, आराजी संख्या 785 रकबा 0.30 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.58 हैक्ट0, तथा खाता संख्या 105 के आराजी संख्या 1026/267, 268, 269, 270 कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा दामाखेडा पटवार हल्का दामाखेडा, तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 135 के हाल आराजी संख्या 267 रकबा 0.22 हैक्ट0, खाता संख्या 162 आराजी संख्या 784 रकबा 0.28 हैक्ट0, आराजी संख्या 785 रकबा 0.30 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.58 हैक्ट0, तथा खाता संख्या 105 के आराजी संख्या 1026/267, 268, 269, 270 कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 हैक्ट0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नर शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट में (अर्चना बुगालिया)

राज्यक कलेक्टर एवं
अधिकारी, कपासन





सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।




(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कपासन

